

प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 10 जून, 2020

विषय:-कोविड-19 के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किए जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के पत्र संख्या-21फ/सं0रो0/20202/2142, दिनांक 23.03.2020 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही करने का कष्ट करें:-

1. अपने जनपद में सभी विभागों के कार्मिकों हेतु दिशा-निर्देश निर्गत करें कि उनको मास्क, सेनेटाइजर तथा डिसइन्फेक्टेंट इत्यादि सभी प्रकार के लॉजिस्टिक्स उनके विभाग में उपलब्ध बजट से उपलब्ध कराया जाए।
2. आई0सी0एम0आर0 एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की कोविड-19 जांच न किया जाए।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,

(वी0 हेकाली झिमोमी)

सचिव।

संख्या-1243(1)/पॉच-5-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
2. निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)

अनु सचिव।

1243/संज्ञ-52020

संख्या 426 (सं)/पीएसएमएच/2020

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये, 30प्र0
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
30प्र0 शासन।

पत्रांक:- 21फ/सं0रो0/2020/2142

दिनांक 23/03/2020

विषय:- कोविड 19 रोग के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने विषयक।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि कोविड 19 रोग के सम्बन्ध में कतिपय जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया जा रहा है कि उनको अन्य विभागीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा मास्क, सैनिटाईजर तथा डिस्इन्फेक्टेन्ट इत्यादि उपलब्ध कराये जाने एवं आई0सी0एम0आर0 के दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की जांच कराने हेतु दबाव बनाया जा रहा है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे सादर अनुरोध है कि समस्त मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी तथा अन्य विभागों को उनकी आवश्यकतानुसार लाजिस्टिक्स उनके विभाग में उपलब्ध बजट से क्रय करने तथा आई0सी0एम0आर0 के दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त व्यक्तियों के जांच न कराये जाने हेतु शासन स्तर से पत्र निर्गत करने की कृपा करें।

भव दी य

(रुकुम केश)
महानिदेशक

सचिव (H)
ए.सी.सी.सी.
4

W(SR)/MS

05-06-2020

09/06/2020

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तर प्रदेश शासन।

तुरन्त प्रस्तुत करें
श्री बंकाज
09.06.2020